कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-15.09.2025

विषयः- "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया मे पंजीकृत सरकारी कार्य में बाधा डालने के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण को 03 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व प्रत्येक को कुल 2000/- रु0 का अर्थदण्ड।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-115/2020 धारा 34, 323, 332, 353, 504, 506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. आजाद सिंह पुत्र उर्फ योगेन्द्र नारायण सिंह पुत्र शम्भू सिंह 2. संजय सिंह उर्फ गोलू पुत्र राजेश सिंह निवासीगण- बुढापुर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 15.09.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण आजाद सिंह उर्फ योगेन्द्र नारायण सिंह व संजय सिंह उर्फ गोलू उपरोक्त को धारा 332/34 भादवि के अंतर्गत अपराध में 03-03 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 1500-1500/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323/34 भादवि के अन्तर्गत अपराध में 06-06 माह के साधारण कारावास व 500-500/- रुपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण कुल 17-17 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।